



सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ।

माननीय प्रबन्ध परिषद की 48वीं बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 का कार्यवृत्त

माननीय प्रबन्ध परिषद की 48वीं बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को पूर्वान्ह 11:30 बजे से सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में सम्पन्न हुई। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत् थी:-

1. डा० आर० के० मित्तल, कुलपति	अध्यक्ष
2. श्री निखिल कुमार त्यागी, लाइव स्टाक ब्रीडर	सदस्य
3. श्रीमती सुमन त्यागी, सामाजिक महिला कार्यकर्त्री	सदस्य
4. श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक	सदस्य
5. श्री ए०के० सिंह, अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन,	सदस्य
मेरठ मण्डल, मेरठ (प्रमुख सचिव वित्त, उ०प्र० के प्रतिनिधि)	
6. डा० शैलेन्द्र कुमार, उपनिदेशक (कृषि रक्षा), मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग / निदेशक कृषि, उ०प्र० के प्रतिनिधि)	सदस्य
7. डा० नीलम सचान, पशुचकित्साधिकारी, निदेशक पशुपालन विभाग, लखनऊ के प्रतिनिधि (निदेशक पशुपालन, उ०प्र० के प्रतिनिधि)	सदस्य
8. श्रीमती लक्ष्मी मिश्रा, वित्त नियंत्रक	सचिव

मा० प्रबन्ध परिषद के अध्यक्ष एवं वित्त नियन्त्रक महोदया द्वारा मा० सदस्यों का स्वागत किया गया।

लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक  
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

-1-

R  
डा० आर० के० मित्तल  
कुलपति  
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि., मेरठ

**प्रस्ताव संख्या 48.1 :** माननीय प्रबन्ध परिषद की 47वीं बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

मा० प्रबन्ध परिषद की 47वीं बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

**प्रस्ताव संख्या 48.2 :** माननीय प्रबन्ध परिषद की 47वीं बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के निर्णयों की अनुपालन आख्या।

मा० प्रबन्ध परिषद की 47वीं बैठक दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया, जिस पर सदस्यों द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। साथ ही मा० सदस्यों द्वारा निम्न अभिमत व्यक्त किये:-

1. श्री निखिल कुमार त्यागी (लाईव स्टाक ब्रीडर), मा० सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि मा० प्रबन्ध परिषद की बैठकों में सदस्यों द्वारा दिये जाने वाले अभिमतों को भी बैठकों के कार्यवृत्त में सम्मिलित किया जाना चाहिए। साथ ही उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि विगत बैठक के अनुपालन आख्या प्रस्तुत करते समय प्रस्तावों के सम्मुख अनुपालन वाले कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाये कि “अनुपालन किया गया” अथवा “अनुपालन नहीं किया गया”。 इसके अतिरिक्त संदर्भित प्रस्ताव पर की गयी कार्यवाही से अवगत कराते हुए, सम्बन्धित कार्यालय आदेश/प्रपत्र भी अनुपालन आख्या में सम्मिलित किये जाये। जिसपर मा० कुलपति जी एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा मा० सदस्यों को आश्वस्त किया गया।

2. श्री निखिल कुमार त्यागी (लाईव स्टाक ब्रीडर), मा० सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्र, खौली को गन्ने के विकास हेतु चयन करते हुए मॉडल-केंद्रीयों के रूप

में विकसित किया जाना उचित होगा। साथ ही श्री निखिल कुमार त्यागी द्वारा वहां की जमीन की उपजाऊ स्थिति के सम्बन्ध में भी अन्य मात्र सदस्यों को अवगत कराया। जिसपर मात्र कुलपति जी द्वारा मात्र सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्र, खतौली को मॉडल-केन्द्रों के रूप में विकसित किये जाने के पूर्ण प्रयास किये जायेंगे। साथ ही उक्त कृषि विज्ञान केन्द्र पर गन्ने के विकास के साथ-साथ अन्य फसलों/सब्जियों के उगाने से सम्बन्धित विकास का प्रयास किया जायेगा।

3. मात्र प्रबन्ध परिषद की 47वीं बैठक दिनांक 29.10.2021 के बिन्दु संख्या-47.2 के बिन्दु संख्या-2 पर इंगित कथन के सम्बन्ध में मात्र कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि मात्र कुलाधिपति महोदया, राजभवन, उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र के कार्मिकों उपस्थिति के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं। इस अनुपालन के अन्तर्गत ही कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिकों से उनके निवास स्थान के पते लिये गये हैं तथा विश्वविद्यालय द्वारा इसी के आधार पर कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

4. विश्वविद्यालय हेतु आवंटित कन्टीजैन्सी ग्रान्ट के संदर्भ में विचार-विमर्श पर श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक, मात्र सदस्य द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय की कन्टीजैन्सी ग्रान्ट बढ़ाने में मण्डलायुक्त, मेरठ महोदय की भी मदद ली जा सकती है। इस सम्बन्ध में मात्र कुलपति जी द्वारा मात्र सदस्यों को अवगत कराया गया कि कन्टीजैन्सी मद बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध परिषद के मात्र सदस्यगण भी अपने स्तर

से मण्डलायुक्त, मेरठ महोदय के माध्यम से प्रयास कर सकते हैं। साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि स्वयं उनके द्वारा उ0प्र0 शासन से लगातार पत्राचार करते हुए प्रयास किये जा रहे हैं।

5. श्री निखिल कुमार त्यागी एवं श्री मनोहर सिंह तोमर, मा0 सदस्यगणों द्वारा सुझाव दिया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों पर कार्यरत कार्मिकों को उनके समीप स्थित कृषि विज्ञान केन्द्रों पर तैनाती दिया जाना उपर्युक्त होगा, जिससे कि उनके आवागमन में व्यर्थ होने वाले समय की बचत होगी। साथ ही उपर्युक्त सदस्यों द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्रों पर विलम्ब से पहुंचने वाले अथवा बिना बताये अनुपस्थित रहने वाले कार्मिकों पर सख्त कार्यवाही करने का भी सुझाव दिया गया।

(कार्यवाही: संयुक्त निदेशक प्रसार)

6. श्री निखिल कुमार त्यागी, लाईव स्टाक ब्रीडर द्वारा मा0 प्रबन्ध परिषद की 47वीं बैठक के बिन्दु संख्या-47.11 पर लीगल एक्सपर्ट का नाम कार्यवृत्त में सम्मिलित न किये जाने पर आपत्ति व्यक्त की गयी। जिसपर वित्त नियन्त्रक द्वारा भविष्य में इस पर ध्यान देने के संदर्भ में मा0 सदस्यों को आश्वस्त किया गया।

7. श्री निखिल कुमार त्यागी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा कृषि विज्ञान केन्द्र, सहारनपुर द्वारा जनपद सहारनपुर के ब्लॉकवार गोद लिये गये गांवों की उपलब्ध करायी गयी सूची पर आपत्ति व्यक्त की गयी। उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ब्लॉक गंगोह के अन्तर्गत गंगोह को भी गांव की सूची के अन्तर्गत इंगित किया गया हैं। इसी प्रकार ब्लॉक देवबन्द के अन्तर्गत

-4-

  
लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक  
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

  
डा० आर० क० मित्तल  
कुलपति  
स.व.प. कृषि एवं प्रौद्योगिकी, मेरठ

उपलब्ध करायी गयी सूची में एक गांव का नाम गलत अंकित किया गया है। इस सम्बन्ध में मा० कुलपति जी द्वारा मा० सदस्यों को आश्वस्त किया गया कि प्रसार निदेशालय से स्पष्ट सूची प्राप्त करते हुए विश्वविद्यालय के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा गोद लिये गये गांवों की सूची सभी मा० सदस्यों को उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त मा० कुलपति जी द्वारा समस्त कृषि विज्ञान केन्द्रों के अध्यक्षों/प्रभारियों की नाम एवं दूरभाष की सूची मा० सदस्यों को बैठक के दौरान ही उपलब्ध करायी, जिससे कि कृषि विज्ञान केन्द्र से सम्बन्धित किसी भी कार्य हेतु मा० सदस्यों द्वारा स्वयं भी उनसे सम्पर्क किया जा सके।

(कार्यवाही: संयुक्त निदेशक प्रसार)

8. श्री निखिल कुमार त्यागी द्वारा फसल अवशेष प्रबन्धन के सम्बन्ध में सुझाव दिया गया कि प्रत्येक ब्लॉक के कम से कम 10 गांवों के साथ ब्लॉक कार्यालय की दीवारों पर इससे सम्बन्धित सूचना का लेखन किया जाना चाहिए।

(कार्यवाही: संयुक्त निदेशक प्रसार)

9. श्री मनोहर सिंह तोमर, प्रगतिशील कृषक द्वारा सुझाव दिया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा भिन्न-भिन्न गांवों में आयोजित की जाने वाली गोष्ठियाँ केन्द्रों से दूर-दराज स्थित गांवों में आयोजित की जाये, जिससे कि दूर-दराज के गांवों में निवासित किसानों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस

-5-

  
डा० आर० के० मित्र  
कुलपति  
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि., मेरठ

सम्बन्ध में मा० कुलपति जी द्वारा मा० सदस्यों को आश्वरत किया गया कि भिन्न-भिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा ब्लॉकवार गांवों की सूची तैयार कराते हुए रोटेशन के माध्यम से गोष्ठियां आयोजित कराने हेतु कृषि विज्ञान केन्द्रों को निर्देशित किया जायेगा।

(कार्यवाही: संयुक्त निदेशक प्रसार)

10. श्री निखिल कुमार त्यागी, लाईव स्टाक ब्रीडर द्वारा ब्लॉक रामपुर मनिहारन के गांव मैदनुकी एवं मुबारिकपुर गांव का जिक्र करते हुए बैठक में उपस्थित सदस्यों को हर्ष के साथ अवगत कराया कि उपर्युक्त गांवों के किसानों ने बड़ी मात्रा में मशरूम की फसल को अपनाया है, जिसके लिए उन्होंने कृषि विज्ञान केन्द्र, सहारनपुर की भी सराहना की।

प्रस्ताव संख्या 48.3 :

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु फर्नीचर, किताबें एवं पत्रिकाओं को क्रय के लिए वित्तीय वर्ष 2021–22 में प्रावधानित धनराशि निर्गत किए जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

मा० कुलपति जी एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा मा० सदस्यों को अवगत कराया गया कि उ०प्र० शासन के शासनादेश संख्या 43/2021/1815013/कृशिअ-67-1013(099)/98/2019 दिनांक 25 नवम्बर, 2021 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2021–2022 में सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ के केन्द्रीय पुस्तकालय हेतु फर्नीचर, किताबें एवं पत्रिकाओं को क्रय करने के लिए प्रावधानित धनराशि रु० 575.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2021–22 में रु० 83.33 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है एवं उपर्युक्त

-6-

लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक  
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

डॉ आर० कौ० मित्तल  
कुलपति  
स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.वि., मेरठ

शासनादेश के बिन्दु संख्या-3 पर इंगित किया गया है कि धनराशि कोषागार से आहरित करके प्रबन्ध परिषद के पूर्वानुमोदन से व्यय की जायेगी तथा किसी भी मद में स्वीकृत धनराशि का व्यावर्तन नहीं किया जायेगा/किसी अन्य मद में पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा”।

जिसपर मा० सदस्यों द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(कार्यवाही: कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक/प्रभारी अधिकारी निर्माया/प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय पुस्तकालय)

प्रस्ताव संख्या-48.4: विद्वत परिषद की 82वीं (विशेष) बैठक By Circulation के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की 82वीं (विशेष) बैठक By Circulation में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

उपर्युक्त बैठक के सम्बन्ध में मा० कुलपति जी द्वारा मा० सदस्यों को अवगत कराया गया कि डा० रमेश चन्द्र, सदस्य, नीति आयोग, भारत सरकार को विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह दिनांक 22.12.2021 के कार्यक्रम हेतु मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के अतिरिक्त मानद उपाधि प्रदान करने के लिए सहमति प्रदान की गयी। इनके नाम पर मा० कुलाधिपति महोदया, उत्तर प्रदेश द्वारा भी सहमति प्रदान की गयी।

(कार्यवाही: कुलसचिव)

लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक  
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

डा० आर० क० मित्तल  
कुलपति  
स.व.प. कृषि एवं प्रौद्योगिकी, मेरठ

प्रस्ताव संख्या: 48.5— विद्वत परिषद की 83वीं बैठक दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 के कार्यवृत्त का अनुमोदन।

विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की 83वीं बैठक दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन किया गया।

उपर्युक्त बैठक के सम्बन्ध में मा० कुलपति जी द्वारा मा० सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में संचालित विभिन्न कक्षाओं के भिन्न-भिन्न बैचों के छात्र एवं छात्राओं को दिनांक 22.12.2021 को मा० कुलाधिपति महोदया के समक्ष डिग्रियां वितरित की जायेगी। उनके द्वारा मा० सदस्यों को यह भी अवगत कराया गया कि B.Sc. (Hons.) Agriculture के बैच 2017–18 हेतु प्रदान किये जा रहे गोल्ड, सिल्वर एवं कांस्य पदकों पर लड़कियों ने ही कब्जा किया है। जिसपर प्रबन्ध परिषद के समस्त सदस्यों द्वारा हर्ष व्यक्त किया गया। साथ ही मा० कुलपति जी द्वारा मा० सदस्यों को विश्वविद्यालय स्तर पर स्पोर्ट्स काउन्सिलिंग के गठन के प्रयास के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया।

साथ ही मा० कुलपति जी एवं वित्त नियन्त्रक द्वारा मा० सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद की 83वीं बैठक दिनांक 09 दिसम्बर, 2021 के संकल्प संख्या-04-1 पर विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले आगामी दीक्षांत समारोह में दिये जाने वाले कुलाधिपति स्वर्ण पद हेतु विश्वविद्यालय के रेगुलेशन में निर्धारित नियम परिनियमों के सम्बन्ध में चर्चा की गयी तथा नियमों में परिवर्तन पर सहमति व्यक्त करते हुए समिति का गठन किया गया है। जिसपर आगामी बैठक में चर्चा हेतु समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करेगी।

लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक  
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

डा० आर० कौर मित्तल  
कुलपति  
स.क.प. कृषि एवं प्रौद्योगिक, मेरठ

उपरोक्त के अतिरिक्त संकल्प संख्या-04-2 पर मा० कुलपति जी द्वारा अवगत कराया गया कि आगामी दीक्षांत समारोह में प्रयोजित पदक प्रदान करने पर भी चर्चा की गयी तथा विद्वत परिषद में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आगामी वर्षों में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह में प्रायोजित पदक प्रदान किये जायेंगे। जिसके नियम व परिनियम तैयार कर मा० विद्वत परिषद के समक्ष चर्चा हेतु एक समिति का गठन किया गया है। जिसपर मा० प्रबन्ध परिषद के सदस्यों द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा प्रायोजित पदक की पंरपरा प्रारम्भ करने हेतु किये जा रहे प्रयासों की सराहना की।

(कार्यवाही: कुलसचिव)

प्रस्ताव संख्या: 48.6—

विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या द्वारा विज्ञापित निदेशक कृषि अनुसंधान केन्द्र व निदेशक प्रसार के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा सील बन्द लिफाफे खोलने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

मा० कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापन संख्या V/2021 द्वारा विज्ञापित निदेशक कृषि अनुसंधान केन्द्र व निदेशक प्रसार के पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति द्वारा सील बन्द लिफाफे मा० प्रबन्ध परिषद की सहमति उपरान्त खोले गये, जिनपर निम्नवत का चयन हुआ:-

निदेशक अनुसंधान केन्द्र के पद हेतु:-

डा० त्रिवेणी प्रसाद सिंह (डा० टी०पी० सिंह)

निदेशक प्रसार के पद हेतु:-

डा० प्रवीण कुमार सिंह (डा० पी०के० सिंह)

(कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण / कुलसचिव)

  
लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक  
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

-9-

  
डा० आर० क० मित्तल  
कुलपति  
स.व.प. कंजि इचं पौ जि कि

प्रस्ताव संख्या: 48.7-

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर पदों पर नियुक्तियों हेतु आयोजित किये जाने वाले साक्षात्कार/स्क्रीनिंग व विश्वविद्यालय के अन्य कार्यों हेतु आमंत्रित वाह्य विशेषज्ञों के मानदेय बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

मा० सदस्यों को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर पदों पर नियुक्तियों हेतु आयोजित किये जाने वाले साक्षात्कार/स्क्रीनिंग व विश्वविद्यालय के अन्य कार्यों हेतु आमंत्रित वाह्य विशेषज्ञों को मानदेय के रूप में रु० 1500/- एकमुश्त प्रदान किया जा रहा है। जबकि इसी कार्य हेतु कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या एवं कानपुर द्वारा रु० 3000/- एवं कृषि विश्वविद्यालय, बांदा द्वारा रु० 2500/- प्रदान किये जा रहे हैं। जिसपर कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में भी शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर पदों पर नियुक्तियों हेतु आयोजित किये जाने वाले साक्षात्कार/स्क्रीनिंग व विश्वविद्यालय के अन्य कार्यों हेतु आमंत्रित वाह्य विशेषज्ञों को मानदेय के रूप में रु० 2500/- एकमुश्त प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में मा० प्रबन्ध परिषद के मा० सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से सहमति प्रदान की गयी।

इसके अतिरिक्त मा० कुलपति जी द्वारा विश्वविद्यालय के शैक्षणिक/शिक्षणेत्तर पदों पर नियुक्तियों हेतु आयोजित किये जाने वाले साक्षात्कार/स्क्रीनिंग व विश्वविद्यालय के अन्य कार्यों हेतु आमंत्रित वाह्य विशेषज्ञों को मानदेय के अतिरिक्त प्रतिदिन के हिसाब से डी०ए० दिये जाने हेतु उ०प्र० शासन से पत्राचार करने हेतु वित्त नियन्त्रक को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही: निदेशक प्रशासन एवं अनुश्रवण/कुलसचिव/वित्त नियन्त्रक)

-10-

लक्ष्मी मिश्रा  
वित्त नियन्त्रक  
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

डा० आर० क० मित्तल  
कुलपति  
स.व.प. कृषि एवं प्रौद्योगिक, मेरठ

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त मा० कुलपति जी एवं मा० सदस्यों द्वारा निम्नवत् अभिमत व्यक्त किये गये:-

1. मा० कुलपति जी द्वारा मा० प्रबन्ध सदस्यों को बैठक में प्रतिभाग करने हेतु प्रदान किये जा रहे मानदेय में वृद्धि हेतु आगामी बैठक में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु वित्त नियन्त्रक को निर्देशित किया गया।

कार्यवाही: वित्त नियन्त्रक)

2. मा० कुलपति जी द्वारा मा० प्रबन्ध सदस्यों को अवगत कराया गया कि कृषि विज्ञान केन्द्रों पर भिन्न-भिन्न प्रकार ऑनलाईन मोड में 06 प्रकार के पद विज्ञापित किये गये हैं, जिसमें इंटरव्यू नहीं लिया जायेगा। समस्त पदों पर प्रतियोगी परीक्षा एवं एकेडेमिक स्कोर के आधार पर ही भर्ती की जायेगी। उपर्युक्त आवेदनों में आवेदकों की संख्या अत्यधिक होने के दृष्टिगत प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रदेश में मेरठ के अतिरिक्त लखनऊ को भी सेन्टर बनाया जाना प्रस्तावित है। साथ ही साथ एस०एम०एस० के कुल 58 पदों पर साक्षात्कार की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही एस०एम०एस० को विश्वविद्यालय के विभिन्न कृषि विज्ञान केन्द्रों पर नियुक्त कर दिया जायेगा।

अन्त में सचिव मा० प्रबन्ध परिषद द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

  
(लक्ष्मी मिश्रा)  
17/12/21

वित्त नियंत्रक / सचिव, मा० प्रबन्ध परिषद  
वित्त नियंत्रक  
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक  
विश्वविद्यालय, मेरठ-250110

अनुमोदित

  
17.12.21

(डा० आर० के० मित्तल)

कुलपति / अध्यक्ष, मा० प्रबन्ध परिषद

डा० आर० के० नित्तल

कुलपति

स.व.प. कृषि एवं प्रौ.वि.ति., मेरठ